विविध बैंक प्रकरण सं0 78/2018 (RCMS : 2017/00148) आई.डी.बी.आई बैंक शाखा, श्रीगंगानगर बनाम राजेन्द्र प्रसाद निवासी 49 न्यू सब्जी मण्डी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री तेजा सिंह अधिवक्ता उपस्थित है। आज पुनः बहस सुनी गई।

मैनें बहस पर मनन कियाएवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2018 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 5,00,000/– रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण दिनांक 24.03.2014 को स्वीकृत किया गया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी चल सम्पत्ति TATA-Indigo ECS LS TDF, Reg. No. RJ07/TEMP/CA/348603, Engine No. 4781DT14BVY08817, Chassis No. MAT607331EPB05415 प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 03.11.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 06.12.2017 को कुल 4,13,696/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है।

अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.12.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है और प्रार्थना की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल सम्पति TATA-Indigo ECS LS TDF, Reg. No. RJ07/TEMP/CA/348603, Engine No. 4781DT14BVY08817, Chassis No. MAT607331EPB05415 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी श्री रजोन्द्र प्रसाद को ऋण सुविधा के रूप में 5,00,000/– (अखरे रूपये पांच लाख रूपये) का ऋण स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद की चल सम्पत्ति TATA-Indigo ECS LS TDF, Reg. No. RJ07/TEMP/CA/348603, Engine No. 4781DT14BVY08817, Chassis No. MAT607331EPB05415 प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.11.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी जो उक्त सम्पत्ति के स्वामी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.12.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये, जिस पर तामिल प्राप्त हो चुकी है।

चूंकि धारा 13(2) के जारी नोटिसों की तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई है और प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के उत्तर में कोई भी आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त ऋणी की बंधक रखी गई उक्त चल सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त बंधक सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी चल सम्पति TATA-Indigo ECS LS TDF, Reg. No. RJ07/TEMP/CA/348603, Engine No. 4781DT14BVY08817, Chassis No. MAT607331EPB05415 श्री राजेन्द्र प्रसाद के नाम से है, और वह श्रीगंगागर में ही निवास करता है और उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन भी श्रीगंगानगर में ही हुआ है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14** के तहत कार्रवाई का प्रश्न है, चूंकि उक्त चल सम्पत्तिं का रजिस्ट्रेशन श्रीगंगानगर में हुआ है और ऋणी श्रीगंगानगर में निवास करता है, जो निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के **क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 28.12.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 28.12.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी ऋणी श्री राजेन्द्र प्रसाद के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है और परिणामस्वरूप श्री राजेन्द्र प्रसाद रजिस्टर्ड एडी की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। ऐसी दशा में ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी आई.डी.बी.आई. का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2018 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **ऋणी** श्री राजेन्द्र प्रसाद की चल सम्पत्ति TATA-Indigo ECS LS TDF, Reg. No. RJ07/TEMP/CA/348603, Engine No. 4781DT14BVY08817, Chassis No. MAT607331EPB05415 **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त चल सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर